

## हरियाणा ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वधियक पारति कथि

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा वधिानसभा ने हरियाणापंजीकरण एवं नजीी कोचगि संस्थानों के वनियिमन वधियक, हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण एवं वनियिमन) वधियक और हसिार मेट्रोपॉलिटिन डेवलपमेंट अथॉरटी वधियक के साथ-साथ अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक वधियक पारति कथि।

### मुख्य बदि:

- हरियाणा रजसि्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बलि के प्रावधानों के अनुसार, जो कोई भी मानव तस्करी का प्रयास करेगा या इसमें शामिल पाया जाएगा या जाली दस्तावेज़ तैयार करने में शामिल पाया जाएगा, उसे कम-से-कम तीन वर्ष की कैद की सज़ा दी जाएगी लेकिन जसि 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 2-5 लाख रुपए के बीच जुर्माना भी देना होगा।
- राज्य वधिानसभा ने हरियाणा नजीी कोचगि संस्थानों का पंजीकरण और वनियिमन वधियक, 2024 भी पारति कथि।
  - वधियक के प्रावधानों के तहत, प्रस्तावति कानून का उल्लंघन करने वाला एक नजीी कोचगि ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिये उत्तरदायी होगा, जसिमें पहले उल्लंघन के लिये 25,000 रुपए और बाद के उल्लंघन के लिये 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा और यदि उल्लंघन फरि भी जारी रहता है तो नजीी कोचगि संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दथि जाएगा।
  - 'नजीी कोचगि संस्थान' का अर्थ है एक ही परसिर में एक संस्थान जसिमें कसिी व्यक्तथि व्यक्तथियों के नकिय, कंपनी, समाज या ट्रस्ट द्वारा स्थापति, संचालति या प्रशासति एक ट्यूशन सेंटर शामिल है जो प्रतसिपर्धी परीक्षाओं के लिये अध्ययन कार्यक्रम प्रदान करता है लेकिन इसमें प्रतदिनि 50 छात्रों तक की व्यक्तगित होम ट्यूशन शामिल नहीं है।
- सदन ने राज्य और कषेत्रीय दोनों स्तरों पर नयामक नकिय स्थापति करके खेल संघों के कामकाज के पंजीकरण एवं वनियिमन की नगिरानी के लिये हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण एवं वनियिमन) वधियक, 2024 भी पारति कथि।
- हसिार मेट्रोपॉलिटिन डेवलपमेंट अथॉरटी बलि, 2024 भी पारति कथि गया, जसिके अनुसार हसिार मेट्रोपॉलिटिन कषेत्र का तेज़ी से वकिय और आर्थिक वकिय के केंद्र के रूप में इसके उदभव ने शहरी प्रशासन, बुनथिादी ढाँचे की कमी, वकिंद्रीकृत नरिणय लेने तथा स्वतंत्र रूप से बनाई गई टाउनशपि में चुनौतथियाँ उत्पन्न कर दी हैं जनिहें नज़रअंदाज़ करने पर हसिार के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता एवं खुशहाली पर असर पड़ सकता है।